

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ  
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर०ए०एस०)

प्रकरण संख्या - 797/2024

अनवान : -

1. संतलाल पुत्र जगमाल जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
2. सुनील कुमार पुत्र धन्नाराम जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।

- वादीगण

बनाम्

1. गुडी पुत्री जगमाल जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
2. शान्ती पुत्री जगमाल जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
3. धन्नाराम पुत्र जगमाल जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
4. विमला पत्नी सोहनलाल जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
5. नीतु पुत्री सोहनलाल जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
6. ईशा पुत्री हरदत सिंह जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
7. सन्तोष पत्नी हरदत जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
8. मुकेश पुत्र हरदत जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
9. सज्जन गोदारा पुत्र सोहन लाल जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88-89, राजस्थान काश्त०  
अधि० 1955

उपस्थिति :- श्री रविन्द्र गोदारा जोशी अधिवक्ता वादीगण  
पेरोकार राज

निर्णय

दिनांक: 03/9/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा 7 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2074-2077 के खाता संख्या 111/98 के कुल खसरे 23 की कुल तादादी 4.1100 है० भूमि में से 1/3 हिस्सा व रोही मौजा 8 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2070-2073 के खाता संख्या 133/118 के कुल खसरे 7 की कुल तादादी 1.6190 है० भूमि में से 1/3 हिस्सा व रोही मौजा 4 बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2074-2077 के खाता संख्या 153/149 के कुल खसरे 27 का कुल क्षेत्रफल 6.5780 है० भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि मृतक मलू उर्फ मालुराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त भूमि वादीगण की पैतृक खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का हक हिस्सा है। मलू उर्फ मालुराम पुत्र रामु उर्फ रामूराम का (अविवाहित लावलुद) स्वर्गवास हो चुका है जिसके स्वर्गवास के बाद संतलाल, धन्नाराम, सोहनलाल, गुड्डी व शांति पि० जगमाल वारिस हुए जिसमें सोहनलाल पुत्र जगमाल स्वर्गवास हो चुका है जिसके वारिस विमला पत्नी सोहनलाल व सज्जन गोदारा, हरदत, नितु पि० सोहनलाल हुए जिसमें से हरदत पुत्र सोहनलाल का स्वर्गवास हो चुका है जिसके वारिस सन्तोष पत्नी हरदत व ईशा, मुकेश पि० हरदत हुए जिनका उपरोक्त भूमि में हक हिस्सा है। प्रतिवादीया 1 व 2 जो कि वादी संख्या 1 की बहिने है उपरोक्त

Q1.

भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती है तथा अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा अपने भाईयों व उनके वारिसों के पक्ष में परित्याग कर दिया है तथा प्रतिवादी संख्या 3 जो कि वादी संख्या 2 का पिता है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहता है तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह अपने पुत्र के पक्ष में परित्याग कर चुका है तथा प्रतिवादी संख्या 4 जो कि प्रतिवादी संख्या 9 की माता है तथा प्रतिवादी संख्या 5 जो कि प्रतिवादी संख्या 9 की बहिन है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती है तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह अपने पुत्र व उनके वारिसों के पक्ष में परित्याग कर दिया है तथा प्रतिवादी संख्या 6 जो कि प्रतिवादी संख्या 7 की पुत्री व प्रतिवादी संख्या 8 की बहिन है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती है तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह अपनी माता व भाई के पक्ष में परित्याग कर दिया है इस प्रकार वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 का कोई हक हिस्सा शेष नहीं बचा है बाद हक त्याग मुताबिक समझौता रोही मौजा 7 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2074-2077 के खाता संख्या 111/98 के कुल खसरे 23 की कुल तादादी 4.1100 है० भूमि में से 1/3 हिस्सा व रोही मौजा 8 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070-2073 के खाता संख्या 133/118 के कुल खसरे 7 की कुल तादादी 1.6190 है० भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि में से 2/3 हिस्सा भूमि वादीगण संख्या 1 ता 2 ब० हि० ब० काबिज है तथा 1/6 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 7 ता 8 ब० हि० ब० काबिज है व 1/6 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 9 काबिज है एवं रोही मौजा 4 बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2074-2077 के खाता संख्या 153/149 के कुल खसरे 27 का कुल क्षेत्रफल 6.5780 है० भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि में से 1/2 हिस्सा पर वादी संख्या 1 काबिज है एवं प्रतिवादी संख्या 7 ता 8 संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा पर काबिज है व 1/4 हिस्सा पर प्रतिवादी संख्या 9 काबिज है। वादीगण जिसकी न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। यही विनाय दावा है।

वादीगण ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादीगण के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादीगण के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं० 1 ता 9 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब पेश किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 9 को कोई ऐतराज नहीं है। प्रतिवादी संख्या 10 परोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम जमाबंदी, मृत्यु प्रमाण मलू उर्फ मालुराम, मृत्यु प्रमाण पत्र सोहनलाल,

al.

मृत्यु प्रमाण पत्र हरदत सिंह तथा सदस्य प्रमाण पत्र बाबत वारिसान आदि दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है उपरोक्त भूमि वादीगण की पैतृक खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का हक हिस्सा है। मलू उर्फ मालुराम पुत्र रामु उर्फ रामूराम का (अविवाहित लावल्द) स्वर्गवास हो चुका है जिसके स्वर्गवास के बाद संतलाल, धन्नाराम, सोहनलाल, गुड्डी व शांति पि० जगमाल वारिस हुए जिसमें सोहनलाल पुत्र जगमाल स्वर्गवास हो चुका है जिसके वारिस विमला पत्नी सोहनलाल व सज्जन गोदारा, हरदत, नितु पि० सोहनलाल हुए जिसमें से हरदत पुत्र सोहनलाल का स्वर्गवास हो चुका है जिसके वारिस सन्तोष पत्नी हरदत व ईशा, मुकेश पि० हरदत हुए जिनका उपरोक्त भूमि में हक हिस्सा है। प्रतिवादीया 1 व 2 जो कि वादी संख्या 1 की बहिने है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती है तथा अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा अपने भाईयों व उनके वारिसों के पक्ष में परित्याग कर दिया है तथा प्रतिवादी संख्या 3 जो कि वादी संख्या 2 का पिता है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहता है तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह अपने पुत्र के पक्ष में परित्याग कर चुका है तथा प्रतिवादीया संख्या 4 जो कि प्रतिवादी संख्या 9 की माता है तथा प्रतिवादीया संख्या 5 जो कि प्रतिवादी संख्या 9 की बहिन है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती है तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह अपने पुत्र व उनके वारिसों के पक्ष में परित्याग कर दिया है तथा प्रतिवादीया संख्या 6 जो कि प्रतिवादी संख्या 7 की पुत्री व प्रतिवादी संख्या 8 की बहिन है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती है तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह अपनी माता व भाई के पक्ष में परित्याग कर दिया है इस प्रकार वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 का कोई हक हिस्सा शेष नहीं बचा है बाद हक त्याग मुताबिक समझौता रोही मौजा 7 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2074-2077 के खाता संख्या 111/98 के कुल खसरे 23 की कुल तादादी 4.1100 है० भूमि में से 1/3 हिस्सा व रोही मौजा 8 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2070-2073 के खाता संख्या 133/118 के कुल खसरे 7 की कुल तादादी 1.6190 है० भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि में से 2/3 हिस्सा भूमि वादीगण संख्या 1 ता 2 ब० हि० ब० काबिज है तथा 1/6 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 7 ता 8 ब० हि० ब० काबिज है व 1/6 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 9 काबिज है एवं रोही मौजा 4 बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2074-2077 के खाता संख्या 153/149 के कुल खसरे 27 का कुल क्षेत्रफल 6.5780 है० भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि में से 1/2 हिस्सा पर वादी संख्या 1 काबिज है एवं प्रतिवादी संख्या 7 ता 8 संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा पर काबिज है व 1/4 हिस्सा पर प्रतिवादी संख्या 9 काबिज है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी

Or

के वाद को स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात् वादी के वाद के संबंध में कोई ऐतराज नहीं है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

परोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।


हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 7 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2074-2077 के खाता संख्या 111/98 के कुल खसरे 23 की कुल तादादी 4.1100 है० भूमि में से 1/3 हिस्सा व रोही मौजा 8 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070-2073 के खाता संख्या 133/118 के कुल खसरे 7 की कुल तादादी 1.6190 है० भूमि में से 1/3 हिस्सा व रोही मौजा 4 बरानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2074-2077 के खाता संख्या 153/149 के कुल खसरे 27 का कुल क्षेत्रफल 6.5780 है० भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि मृतक मलू उर्फ मालुराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, वादी का कथन है कि उपरोक्त भूमि वादीगण की पैतृक खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का हक हिस्सा है। मलू उर्फ मालुराम पुत्र रामु उर्फ रामूराम का (अविवाहित लावलद) स्वर्गवास हो चुका है जिसके स्वर्गवास के बाद संतलाल, धन्नाराम, सोहनलाल, गुड्डी व शांति पि० जगमाल वारिस हुए जिसमें सोहनलाल पुत्र जगमाल स्वर्गवास हो चुका है जिसके वारिस विमला पत्नी सोहनलाल व सज्जन गोदारा, हरदत, नितु पि० सोहनलाल हुए जिसमें से हरदत पुत्र सोहनलाल का स्वर्गवास हो चुका है जिसके वारिस सन्तोष पत्नी हरदत व ईशा, मुकेश पि० हरदत हुए जिनका उपरोक्त भूमि में हक हिस्सा है। प्रतिवादीया 1 व 2 जो कि वादी संख्या 1 की बहिने है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती है तथा अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा अपने भाईयों व उनके वारिसों के पक्ष में परित्याग कर दिया है तथा प्रतिवादी संख्या 3 जो कि वादी संख्या 2 का पिता है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहता है तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह अपने पुत्र के पक्ष में परित्याग कर चुका है तथा प्रतिवादीया संख्या 4 जो कि प्रतिवादी संख्या 9 की माता है तथा प्रतिवादीया संख्या 5 जो कि प्रतिवादी संख्या 9 की बहिन है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती है तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह अपने पुत्र व उनके वारिसों के पक्ष में परित्याग कर दिया है तथा प्रतिवादीया संख्या 6 जो कि प्रतिवादी संख्या 7 की पुत्री व प्रतिवादी संख्या 8 की बहिन है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती है तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह अपनी माता व भाई के पक्ष में परित्याग कर दिया है इस प्रकार वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 का कोई हक हिस्सा शेष नहीं बचा है बाद हक त्याग मुताबिक समझोता रोही मौजा 7 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2074-2077 के खाता संख्या 111/98 के कुल खसरे 23 की कुल तादादी 4.1100 है० भूमि में से 1/3 हिस्सा व रोही मौजा 8 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070-2073 के खाता संख्या 133/118 के कुल खसरे 7 की कुल तादादी 1.6190 है० भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि में से 2/3 हिस्सा भूमि वादीगण संख्या 1 ता 2 ब० हि० ब० काबिज है तथा 1/6 हिस्सा भूमि

01

प्रतिवादी संख्या 7 ता 8 ब0 हि0 ब0 काबिज है व 1/6 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 9 काबिज है एवं रोही मौजा 4 बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2074-2077 के खाता संख्या 153/149 के कुल खसरे 27 का कुल क्षेत्रफल 6.5780 है0 भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि में से 1/2 हिस्सा पर वादी संख्या 1 काबिज है एवं प्रतिवादी संख्या 7 ता 8 संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा पर काबिज है व 1/4 हिस्सा पर प्रतिवादी संख्या 9 काबिज है, वादी के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार किया जाकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 9 को कोई ऐतराज नहीं है। वादी द्वारा प्रस्तुत वारिस प्रमाण एवं सजरा खानदान के अलावा मृतक मलू उर्फ मालुराम के अन्य कोई भी वारिसा नहीं होना स्वीकार किया गया है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 7 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2074-2077 के खाता संख्या 111/98 के कुल खसरे 23 की कुल तादादी 4.1100 है0 भूमि में से 1/3 हिस्सा व रोही मौजा 8 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2070-2073 के खाता संख्या 133/118 के कुल खसरे 7 की कुल तादादी 1.6190 है0 भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि उपरोक्त दोनो खातों की भूमि में मृतक मलू उर्फ मालुराम पुत्र रामु उर्फ रामुराम का नाम कलमजन किया जाकर 2/3 हिस्सा भूमि वादीगण संख्या 1 ता 2 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा 1/6 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 7 ता 8 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व 1/6 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 9 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं रोही मौजा 4 बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2074-2077 के खाता संख्या 153/149 के कुल खसरे 27 का कुल क्षेत्रफल 6.5780 है0 भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि में मृतक मलू पुत्र रामुराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी संख्या 1 को 1/2 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 7 ता 8 के संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 9 को 1/4 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 03/09/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
 (पंकज गढ़वाल R.A.S.)  
 उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
 एवं सहायक कलक्टर  
 नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ  
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या - 797/2024

अनवान : -

1. संतलाल पुत्र जगमाल जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
2. सुनील कुमार पुत्र धन्नाराम जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।

- वादीगण

बनाम्

1. गुडी पुत्री जगमाल जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
2. शान्ती पुत्री जगमाल जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
3. धन्नाराम पुत्र जगमाल जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
4. विमला पत्नी सोहनलाल जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
5. नीतु पुत्री सोहनलाल जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
6. ईशा पुत्री हरदत सिंह जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
7. सन्तोष पत्नी हरदत जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
8. मुकेश पुत्र हरदत जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
9. सज्जन गोदारा पुत्र सोहन लाल जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 797 सन 2024 निर्णय दिनांक 03/9/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादीगण श्री रविन्द्र गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 7 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2074-2077 के खाता संख्या 111/98 के कुल खसरे 23 की कुल तादादी 4.1100 है0 भूमि में से 1/3 हिस्सा व रोही मौजा 8 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070-2073 के खाता संख्या 133/118 के कुल खसरे 7 की कुल तादादी 1.6190 है0 भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि उपरोक्त दोनो खातों की भूमि में मृतक मलू उर्फ मालुराम पुत्र रामु उर्फ रामुराम का नाम कलमजन किया जाकर 2/3 हिस्सा भूमि वादीगण संख्या 1 ता 2 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा 1/6 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 7 ता 8 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व 1/6 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 9 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं रोही मौजा 4 बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2074-2077 के खाता संख्या 153/149 के कुल खसरे 27 का कुल क्षेत्रफल 6.5780 है0 भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि में मृतक मलू पुत्र रामुराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी संख्या 1 को 1/2 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 7 ता 8 के संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 9 को 1/4 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 03/9/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

*W.*  
(पंकज गढ़वाल R.A.S.)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
एवं सहायक कलक्टर  
नोहर